विभाग का नाम :- दिल्ली जल बोर्ड
विभाग का पता :- निदेशक (प्रशासनिक एवं कार्मिक)
वरूणालय फेज - 2, करोल बाग, नई दिल्ली

तारांकित प्रश्न संख्या :- 73
दिनाक :- 11.08.2017
प्रश्न कर्ता का नाम :- श्री पंकज पुष्कर, विधायक

क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

अ. क्र.	प्रश्न	उत्तर
(क)	सीवरों तथा सेप्टिक टैंकों में मारे जाने वाले व्यक्तियों की वर्श 1993 के बाद की संख्या, जब से इस प्रथा पर रोक लगा दी गई थी,	(क) से (ज) सूचना बहुत विस्तृत है, एकत्र की जा रहीं हैं एवं शीघ्र ही सदन के पटल पर रख दी जाएगी।
(ख)	क्या सरकार की इस अमानवीय प्रथा पर रोक लगाने की कोई योजना है,	
(ग)	क्या हाथों से सफाई की प्रथा को पूरी तरह से समाप्त करने, जो उच्चतम न्यायालय द्वारा बार-बार दोहराई गई एक कानूनी अनिवार्यता है, के लिए सरकार की कोई कार्य योजना है,	
(घ)	रिट याचिका (सिविल) 583/2003 में उच्चतम न्यायालय के दिए आदे-ा के अनुसार वर्श 1993 के बाद से हाथों से सफाई करने वाले मृतकों के पीड़ित परिवारों के लिए दस लाख रुपए की क्षतिपूर्ति प्रदान किए जाने की क्या स्थिति है,	
(ड.)	इन सभी प्रभावित परिवारों को किस समय तक उनको देय क्षतिपूर्ति राि मिल जाएगा,	
(च)	जो व्यक्ति हाथ से सफाई के काम में लगे थे या लगे हैं क्या उनको और उनके परिवारों को वैकल्पिक रोज़गार व कौ-ल उपलब्ध कराने हेतु सरकार ने कोई कदम उठाए हैं,	
(छ)	हाथ से सफाई के दौरान मृत व्यक्तियों के परिवारों को प्रदान की गई सरकारी नौकरियों का ब्यौरा, जैसा कि उच्चतम न्यायालय के अनुसार अनिवार्य है, और	
(ज)	हाथ से सफाई के दौरान में मृत व्यक्तियों के परिवारजनों को आबंटित भूमि/प्लॉटों का ब्यौरा, जैसा कि उच्चतम न्यायालय के अनुसार अनिवार्य है?	

सचिव
निदेशक (प्रशा. एवं कार्मिक)